डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामदेव बनाम रामपाली

दावा बाबत :–53, 88 188, राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 49/2024
पेश करने की दिनांक – 12.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 5396/1, 5403/1 व 5402/1 रकबा क्रमशः 0.0243, 0.088 व 0.0010 का खातेदार रामदेव पुत्र चौथमल को, खसरा नम्बर 3263/10330, 5381, 5396 रकबा क्रमशः 0.03, 0.06 व 0.0157 का खातेदार नाथू पुत्र मांगू हि. 650/1057, माया पुत्री तेजू हि. 82/3171, रामकरण पुत्र गोपी हि. 325/1057, विमला पुत्री तेजू हि. 82/3171 व सीता पुत्री तेजू 82/3171 को, खसरा नम्बर 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403 रकबा क्रमशः 0.03, 0.03, 0.07, 0.05, 0.0390 व 0.0312 का खातेदार अमरा पुत्र देवा 260/3753, गोपी पुत्र भोला हि. 65/1251, नोसर पुत्री देवा हि. 260/3753, पोखर पुत्र लादू हि. 260/1251, भूरी पत्नी मांगू हि. 130/417, मूला पुत्र भोला हि. 65/1251, माया पुत्री तेजू हि. 16/3753, रामलाल पुत्र देवा हि. 260/3753, विमला पुत्री तेजू हि. 16/3753, श्योचन्द पुत्र माला हि. 65/417, सीता पुत्री तेजू हि. 16/3753 को घोषित किया जाता है। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार ही रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 8 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:30:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद